

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

Covid-19 के रोकथाम हेतु जिला स्तर पर 125 KVA का ब्राण्डेड जेनरेटर यथा, महेन्द्र, TATA KOHLER, KILOSKER, Ashok Leyland या इसी स्तर का अन्य ब्राडेण्ड जेनरेटर) आपूर्ति हेतु दिनांक-04.06.2020 को 1 बजे अपराह्न तक निविदा सिविल सर्जन कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

जेनरेटर का Specification निम्न है।

1. 125 KVA Silent Diesel Generator with 6 cylinder
- 2- 415 Volts Three Phase

Note All the above DG sets will be compled a comman base frame along with the following Accessories

- i. Fuel tank
- ii. Battery and Lead
- iii. AVM PADS
- iv. Mannual control panel with Microproceser based controller
- v. Acoustic exclosure

प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 3 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा से संबंधित षर्तें एवं विस्तृत जानकारी जिला के वेबसाईट <http://Khunti.nic.in> पर भी कर सकते हैं।

(1) प्रत्येक निविदादाता को दो अलग-अलग मुहरबन्द लिफाफे में तकनिकी विड (Technical Bid) एक वित्तीय विड (Financial bid) संबंधित कागजात समर्पित करना होगा लिफाफे के अन्दर स्पष्ट अक्षरों में तकनिकी विड तथा वित्तीय बीड अलग-अलग अंकित करना होगा।

तकनिकी बीड

(1) फर्म का विगत दो वर्षों का आयकर विवरणी संलग्न करना होगा फर्म/ प्रोपराईटर के नाम से निर्गत आयकर

रिर्टन ही मान्य होगा।

(2) विक्री कर विवरण एवं GST निबंधन सम्बन्धित UP to Date प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(3) पूर्व में यदि सरकारी विभाग को जनरेटर आपूर्ति किए है तो उनका कार्यदेश हो तो संलग्न कर सकते है। उस फर्म का प्राथमिकता दी जा सकती है।

(4) फर्म काली सूची में नहीं होने संबंधित स्व हस्ताक्षरित षपथ पत्र संलग्न करना होगा।

(5) जनरेटर का अधिकृत विक्रेता (Dealer) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(6) एजेंसी को एक पेज में यह षपथ पत्र लिखकर देना होगा कि कार्यदेश मिलने के सात दिनों के अन्दर जनरेटर गन्तव्य स्थान पर Installed कर दिया जाएगा।

वित्तीय भाग (Financial Bid)

वित्तीय भाग के Specification के साथ अपना मूल्य कम्प्यूटर द्वारा अंकित होना चाहिए पेन द्वारा अगर निविदा राषि लिखी गई तो वह मान्य नहीं होगा।

(1) कार्यालय या कार्य स्थल तक जेनरेटर को लाने या वापस ले जाने हेतु किसी प्रकार का परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा।

(2) जनरेटर का Base बनाकर उसे Installed करने कि जिम्मेवारी चयनित फर्म की होगी उसके लिए अलग से कोई राषि नहीं दी जाएगी।

(3) निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

(4) अगर कोई विवाद होता है तो न्यायालय का क्षेत्र जिला खूँटी होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक –सह–
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खूँटी।